द विल टू डाई-ऑन 'लिविंग विल्स'

साभार: द हिन्दू *(12 अक्टूबर, 2017)*

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

एक अचेत अवस्था में मरीजों की गरिमा की रक्षा के साधन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान खंडपीठ के समक्ष इच्छामृत्यु को अनुमति देने पर हो रही बहस ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। क्या कानून को इच्छा-मृत्यु (लिविंग विल) की अनुमति देनी चाहिए? यहाँ अग्रिम निर्देश यह हैं कि वैसे लोग जो दिमागी रूप से अचेत हैं तथा जिसका इलाज संपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है और जिसमें कुछ बेहतर होने की संभावना नहीं है, तो यह अचेत अवस्था (vegetative state) कहलाती है। यह प्रश्न कानूनी, नैतिक और दार्शनिक प्रभाव से भरा है।

अदालत को यह सवाल सुलझाना होगा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गये जीवन का अधिकार, जिसमें पहले के फैसले के अनुसार जीवन समाप्त करने का अधिकार शामिल नहीं है, कहाँ तक उचित है। एक ही समय में, एक इच्छा-मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) वाले परिवार के करीबी सदस्यों और देखभालकर्ताओं को जीवनकाल समाप्त करने के निर्णय से एक दीर्घ बीमार रोगी से राहत मिल सकती है।

डॉक्टरों के लिए, क्या इसका मतलब यह हुआ कि जीवन को बचाने के लिए अपना दायित्व छोड़ दिया जाए? अमेरिकी अधिकारिता के तहत रोगी स्वायत्तता सर्वोपरि है और कई अन्य देशों में भी अग्रिम निर्देशों का कानून है, यहां तक कि 'स्वास्थ्य देखभाल प्रॉक्सी' नामांकन भी है जो रोगी की ओर से निर्णय ले सकता है। क्या भारत इस प्रणाली को अपना सकता है?

अपने फैसले को आरक्षित करते समय, अदालत ने संकेत दिया है कि इससे जीवन रेखा के विचारों को लागू करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश लागू हो सकते हैं। सरकार ने अग्रिम निर्देश की अवधारणा का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि यह सार्वजनिक नीति और जीवन के अधिकार के खिलाफ होगा। सरकार उचित रूप से चिंतित है कि इस विचार का दुरुपयोग हो सकता है और इससे बुजुर्गों की उपेक्षा होगी।

अगर अमेरिका के पास टेरी शियावो था, तो भारत के पास भी अपनी अरुणा शानबाग थी, दोनों ही राईट-टू-डाई के तर्कों से संबंधित थीं। बाद के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक ऐतिहासिक फैसले में सक्रिय इच्छा-मृत्यु (एक्टिव यूथेनेशिया) के लिए किसी भी समर्थन को खारिज कर दिया था, लेकिन निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे को निर्धारित किया था। वर्तमान मामले में, न्यायालय न्यायिक अधिकारी द्वारा इच्छामृत्यु को अधिमानित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय तैयार करना पड़ सकता है और उस सटीक अवस्था को निर्धारित करना होगा जिस पर अग्रिम निर्देश लागू होंगे।

अदालत का अवलोकन यह है कि इसे मेडिकल बोर्ड के नियमों के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की हालत असाध्य है, न तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। वर्तमान कानून मानसिक बीमारी के उपचार के बारे में अग्रिम निर्देश प्रदान करता है, इसलिए यह अवधारणा भारतीय कानून के लिए नई नहीं है। यदि लिविंग विल्स को कानूनन मान्यता मिल जाती है, तो इसे मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ लागू किया जाना चाहिए।

इससे संबंधित तथ्य

- **क्या है पूरा मामला:** देखा जाये तो एनजीओ 'कॉमन कॉज' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह उन्हें मरने का भी अधिकार है। जबकि केंद्र सरकार का मानना है कि इच्छा-मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, हालाँकि मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर मरणासन्न व्यक्ति का 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' हटाया जा सकता है।
- **क्या हैं केंद्र सरकार के तर्क?:** केंद्र सरकार का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में पैसिव यूथेनेशिया (कोमा में पड़े मरीज का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना) सही तो है, लेकिन वह लिविंग विल का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि यह एक तरह से आत्महत्या जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि पैसिव यूथनेशिया को लेकर विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है।
- **संबंधित विधेयक में क्या?:** लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेंसेंट (प्रोटेक्शन ऑफ पेसेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स) बिल' का मसौदा तैयार किया गया है। संबंधित विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि असाध्य और भयंकर पीड़ा देने वाली बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज से मना करने की यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की इजाजत है या नहीं। इस विधेयक में यह कहा गया है कि पैसिव यूथेनेशिया के मामले में मेडिकल बोर्ड यह निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगा कि मरीज से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाना चाहिये या नहीं।
- **एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में अंतर क्या है?:** 'एक्टिव यूथेनेशिया' और 'पैसिव यूथेनेशिया' इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग 'इच्छा-मृत्यु' को इंगित करने हेतु किया जाता है। 'एक्टिव यूथेनेशिया' वह स्थिति है, जब इच्छा-मृत्यु मांगने वाले किसी व्यक्ति को इस कृत्य में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे- जहरीला इंजेक्शन लगाना आदि। वहीं पैसिव यूथेनेशिया वह स्थिति है जब इच्छा-मृत्यु के कृत्य में किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती। एक वाक्य में कहें तो एक्टिव यूथेनेशिया वह है, जिसमें मरीज की मृत्यु के लिये कुछ किया जाए, जबकि पैसिव यूथेनेशिया वह है जहाँ मरीज की जान बचाने के लिये कुछ न किया जाए।

संभावित प्रश्न

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु पर दिया गया फैसला मरीजों की गरिमा के रक्षा के साधन के रूप में प्रतीत होता है। इस कथन के संदर्भ में भारत में इच्छामृत्यु को कानूनन रूप से लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को बताएं।

Recently, the judgement on euthanasia by the supreme court appears to be the means of protecting the dignity of patients. In the context of this statment tell the difficulties in enforcement of euthanasia as a law in india. (200 WORD)